कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 308/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 28.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 28.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना कोतवाली: कोयला खरीदने के नाम पर हुए साइबर फ्राड के 1,35,000 रूपये आवेदक के खाते में वापस कराया गया।

पूर्व की घटनाः-

आवेदक संदीप अग्रवाल पुत्र ज्ञानेश्वर प्रसाद निवासी मकान नंबर 93 खत्रीटोला थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के साथ कोयला खरीदने के नाम पर 2,35000 रूपये का साइबर फ्राड हुआ था, जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा NCRP पोर्टल पर Complain No. 23101250008565 पंजीकृत किया गया था। NCRP Complain No. 23101250008565 के आधार पर आवेदक उपरोक्त का 1,96,401 रूपये होल्ड कराया गया था।

बरामदगी का विवरण

उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही करते हुये मा0 न्यायालय से कोर्ट आर्डर बनवाकर आवेदक के 1,35000 रूपये बैंक द्वारा वापस कराया गया।

➡ आवेदक संदीप अग्रवाल उपरोक्त के साइबर कम्पलेन के जांच के क्रम में आज दिनांक 28.08.2025 को आवेदक के खाते में कुल 1,35000 रूपये वापस कराया गया।

पुलिस टीमः-

प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
निरीक्षक अपराध रफी आलम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
म0आ0 उमा वर्मा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
का0 दमन पाण्डेय थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

02.थाना सरायमीर: दुष्कर्म के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.08.2025 को वादी मुकदमा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने थाना सरायमीर लिखित तहरीर दी कि वादी की भतीजी जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, को विपक्षी राजाराम पुत्र स्व0 तिलेश्वर राम निवासी पारा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर आटो में बैठाकर खेत/बाग में ले जाकर दुष्कर्म किया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 377/2025 धारा 64/137(2) बीएनएस बनाम राजाराम पुत्र स्व0 तिलेश्वर राम निवासी पारा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। दिनांक 27.08.2025 को अभियुक्त राजाराम उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 27.08.2025 को प्र0नि0 निहार नन्दन कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त राजाराम पुत्र स्व0 तिलेश्वर राम साकिन पारा थाना सरायमीर आजमगढ़ को अभियुक्त के घर पारा से समय करीब 20.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. राजाराम पुत्र स्व0 तिलेश्वर राम निवासी पारा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 377/2025 धारा 64/137(2) बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्र0नि0 निहार नन्दन कुमार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. का0 विजय कुमार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. का0 अंकुर सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
4. का0 चन्दन कुमार , म0का0 संजू सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

03. थाना मुबारकपुरः प्रतिबंधित पशु का वध कर उसके अवशेष को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे व सर्विस लेन के मध्य बने नाले मे फेकने वाले 04 अभियुक्त चापड़ व कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार।

पूर्व की घटनाः-

अवगत कराना है कि दिनांक 26.08.2025 को प्रभारी निरीक्षक शशि मौलि पाण्डेय मय हमराह थाना से प्रस्थान कर शातिं व्यवस्था व देखभाल क्षेत्र में भ्रमणशील रहे कि क्षेत्र में ही जानकारी हुई कि बम्हौर सिक्स नं0 248-249 किलोमीटर के मध्य स्थित नाले में भरे हुए पानी में प्रतिबंधित पशु का सिर व खाल आदि अन्य अवशेष पानी में तैर रहा है, सूचना पर मौके पर पहुँच कर देखा गया तथा हमराही कर्मचारीगण व जनता के सहयोग से प्रतिबंधित पशु के सिर व खाल आदि अवशेष को पानी से बाहर निकलवाया गया,बारीकी से निरीक्षण करने पर पाया गया कि गला काटकर प्रतिबंधित पशु का वध किया गया है, यह कार्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रतिबंधित पशु का वध कर उसके माँस को खाने या विक्रय करने हेतु किया गया है, बरामद शुदा प्रतिबंधित पशु के सिर व खाल तथा अन्य अवशेष के पोस्टमार्टम की कार्यवाही हेतु मौके से पशु चिकित्साधिकारी को उनके मो0 नं0 पर सूचना दी गयी तथा पशु चिकित्सक द्वारा पडे अवशेषों की चिकित्सीय कार्यवाही पूर्ण की गयी। पास में ही एक जीवित प्रतिबंधित पशु रंग काला मिली जिसके गले में रस्सी बँधी हुई है, चारा पानी का समुचित व्यवस्था न होने के कारण जीवित प्रतिबंधित पशु को गौशाला मुबारकपुर भेजवाया गया। जिसके सम्बन्ध मे प्र0नि0 के प्रार्थना पत्र पर मु0अ0सं0 383/25 धारा 3/5/8 गो0नि0 अधि0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 आशुतोष मौर्य द्वारा की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त की तमामी विवेचना, पूछताछ बीट कर्मचारीगण, पूछताछ मुखबिर व अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त मे 1.जीशान उर्फ अजालू पुत्र अफजल, 2.इन्तजार आलम पुत्र रिजवान अहमद उर्फ बुद्धू, 3.रहीम पुत्र शमीम, 4.कलीम पुत्र शमीम, 5.अब्दुलरहमान पुत्र मो0 आरिफ, 6.मो0 मुजाहिद पुत्र मो0 सगीर निवासीगण बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ तथा 7.शमशाद अहमद पुत्र स्व0 जियाउद्दीन निवासी समौधी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 28.08.2025 को प्रभारी निरीक्षक शशि मौलि पाण्डेय के निर्देशन में उ0नि0 आशुतोष मौर्य मय हमराह को सूचना नीबी अण्डर पास के पास स्थित बाग से एक बारगी दबिश देकर चार व्यक्तियो को पकड़ लिया गया। पकडे गये व्यक्तियो से क्रमशः नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो एक ने अपना अब्दुल रहमान पुत्र मो0 आरिफ ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर आजमगढ उम्र 20 वर्ष बताया उसके दाहिने हाथ से एक अदद कुल्हाड़ी जिसका फल 05 अंगुल लोहे का तथा बेट लकड़ी का 21 अंगुल तथा बाये हाथ मे एक बोरी मे लकड़ी का ठीहा बरामद हुआ दूसरे ने अपना नाम शमशाद अली पुत्र जियाउद्दीन ग्राम समौधी पुरारानी, थाना मुबारकपुर आजमगढ उम्र 45 वर्ष बताया जो अपने दाहिने हाथ में एक अदद कुल्हाड़ी जिसका फल 05 अंगुल लोहे का तथा बेट लकड़ी का 21 अंगुल बरामद हुआ। तीसरे नें अपना नाम मो0 मुजाहिद पुत्र मो0 सगीर ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र 23 वर्ष बताया जो अपने दाहिने हाथ में एक अदद चापड हुलिया लोहे की मुठिया 07 अंगुल व 15 अंगुल चौडा फल लोहे का बरामद हुआ। तथा चौथे ने अपना नाम इन्तजार आलम पुत्र रिजवान अहमद उर्फ बुद्धू ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी से उसके दाहिने हाथ में लिए एक अदद चापड हुलिया लोहे की मुठिया 07 अंगुल व 15 अंगुल चौडा फल लोहे का बरामद हुआ

उपरोक्त लोगो से कडाई से पूछने पर बताये कि साहब हम चारो लोग व अजालू, रहीम व कलीम कुल सात लोग मिलकर रात्रि मे प्रतिबंधित पशु को लाते है तथा सर्विस लेन के आसपास सुनसान स्थान देखकर उसका वध करते है तथा उसके मांस को घूमफिर कर चुपके से बेच देते है तथा उससे जो पैसे मिलते है। अभी कुछ दिन पहले जीशान उर्फ अजालू पुत्र अफजल के पास एक प्रतिबंधित पशु व बछड़ा था। वह प्रतिबंधित पशु दूध देना बन्द कर दी थी तो अजालू अपनी प्रतिबंधित पशु व बछड़े को लेकर नीबी अण्डर पास के बगल मे सर्विस लेन के पास लेकर आया था। बछड़े को अजालू व रहीम पुत्र शमीम व कलीम पुत्र शमीम के साथ हम चारो लोग इन्तजार, अब्दुल रहमान, मुजाहिद तथा शमशाद ने मिलकर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के पास बछड़े को बध कर दिये तथा उसके मांस को आपस मे बाटकर बिक्री कर दिये थे तथा प्रतिबंधित पशु को उससे कुछ दूर पर बांध कर बाद मे बध करने के लिए छोड़ दिये थे कि कुछ लोग आने जाने लगे जिस कारण उस समय हम लोग उक्त प्रतिबंधित पशु का बध नही कर सके। आज हम लोग एक दूसरी प्रतिबंधित पशु को पकड़कर बध करने के लिए ही बैठे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया। अभियोग उपरोक्त मे अभियुक्तगण के पास से चापड़ की बरामदगी के उपरान्त धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्तगण अब्दुल रहमान पुत्र मो0 आरिफ, मो0 मुजाहिद पुत्र मो0 सगीर, इन्तजार आलम पुत्र रिजवान अहमद उर्फ बुध्दू निवासीगण ग्राम बम्हौर थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ व शमशाद अमहद पुत्र जियाउद्दीन साकिन समौधी पुरारानी थाना मुबारकपुर, आमजगढ़ उपरोक्त को मु0अ0सं0 383/25 धारा 3/5/8 गो0नि0 अधि0 के सम्बन्धित वांछित अभियुक्त पाते हुए कारण गिरफ्तारी बताते हुए नियमानुसार अन्तर्गत धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट का समय 01.35 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।

बरामदगी का विवरणः-

1-02 अदद चापड़, 02 अदद कुल्हाड़ी व एक अदद लकड़ी का ठीहा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अब्दुल रहमान पुत्र मो0 आरिफ,

2. मो0 मुजाहिद पुत्र मो0 सगीर,
3. इन्तजार आलम पुत्र रिजवान अहमद उर्फ बुद्धू निवासीगण ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर आजमगढ
4.शमशाद अली पुत्र जियाउद्दीन ग्राम समौधी पुरारानी, थाना मुबारकपुर आजमगढ

पंजीकृत अभियोग:-

1-मु0अ0सं0 383/25 धारा 3/5/8 गो0नि0 अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1-उ0नि0 आशुतोष मौर्य मय हमराह थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

04.थाना-अहरौला: चोरी कुल 05 घटनाओं का सफल अनावरण; चोरी के आभूषण, अवैध असलहा व कारतूस के साथ 01 हिस्ट्रीशीटर/शातिर अपराधी गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का विवरण

➡दिनांक 01.12.2024 को वादी मुकदमा ऋषी पाण्डेय पुत्र नरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय निवासी भीमलपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के घर से नगदी 33000रू0 व एक सिकडी एक अगुठी सात पायल एक कान का झुमका , मंगल सूत्र एक कान का झाला , नथिया बिन्दिया कमर कर्धन, बिछुआ व टीवी सोनी दो डिटीएच रिमोट बडा वाला बैटरा इन्वर्टर स्टेपलाईजर दो सिलेण्डर गैस चुल्हा दो थार परात हण्डा बटुला गगरा पीतल का कलसा टंकी कुकर दो , साडी , एक ड्रम चावल दो बोरी आदि समान को चोरी कर लिया गया था इसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर दिनांक 03.12.2024 को वादी मुकदमा ऋषी पाण्डेय पुत्र नरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्रा0पो0 भीमलपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा मु0अ0स0 499/24 धारा 305ए/331(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

➡दिनांक 19.02.2025 की रात लगभग 12 बजे मै ग्राम गढ़वा से जीतनरायन पुत्र स्व. रतन के घर के पीछे से सीढ़ी से नीचे उतर कर घर में घुस कर कमरे का ताला तोड़कर घर में रखा कुछ रूपया नकदी व दो पीस मंगलसूत्र, कान का सोने का ढप्पा, 1 पीस तीन लर की चांदी की सीकड़, पैर का पायल को चोरी कर लिया गया था इसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर दिनांक 19.02.2025 को वादी मुकदमा श्री जीतनरायन पुत्र स्व. रतन ग्राम गढ़वा, पोस्ट भीमलपट्टी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ द्वारा मु0अ0सं0 75/25 धारा 331(4)/305(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

➡दिनांक 28/29.04.2025 की रात ग्राम- मुबारकपुर मे एक घर के अन्दर से अलमारी मे एक चैन सोने का, एक नाक की नथिया सोने की, एक चांदी का पाजेब , सोने का एक मांग टीका तथा एक जोडी पाजेब व दो जोडी पायल ,एक सोने की अंगूठी , बक्सा मे से साडिया , सूट , बर्तन को चुरा लिया गया था इसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर दिनांक 29.04.2025 को वादिनी बासमति पत्नी स्व0 तिलकधारी यादव निवासी मुबारकपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ के लिखित तहरीर पर मु0अ0स0 मु0अ0स0 167/25 धारा 305ए बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

➡दिनांक 5/6.5.2025 की रात मे ग्राम लेदौरा (कुसहा) मे एक मकान के पीछे की खिड़की तोड़कर घर के अन्दर से आलमारी का लाक तोड़कर उसमे रखा सोने का एक हार, एक सोने की अंगूठी, चांदी का पाजेब एक जोड़ी, को चुरा लिया गया था। इसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर दिनांक 07.05.2025 को वादी मुकदमा श्री रामनाथ चौबे पुत्र स्व0 भगौती चौबे ग्राम लेदौरा(कुसहा) थाना अहरौला जनपद आजमगढ के लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 178/2025 धारा 305(a) बी.एन.एस. थाना अहरौला जनपद आजमगढ का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना द्वारा टीमों का गठन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

गिरफ्तारी विवरण

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

➡आज दिनांक 28.8.25 को उ0नि0 नितेश चौबे मय हमराह की टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को बरामदपुर पुलिया मंदिर के पास से एक अदद तमन्चा .315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतुस .315 बोर व चोरी के एक अदद अंगुठी (पीली धातु) , पांच जोड़ी पायल (सफेद धातु) , तीन अदद मंगलसूत्र (पीली धातु जिसमे काले रंग की गुडिया का माला है), एक अदद चैन (पीली धातु), एक अदद फुल का गगरा , एक अदद फुल का छोटा बटुला , चार अदद साड़ी , चोरी के 1050 रुपया समय 05.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया। तथा एक अभियुक्त धीरज कुमार पुत्र हरीराम निवासी बेलवा विशुनपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ वांछित चल रहा है।

अपराध करने का तरीका-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया कि साहब मै व मेरा दोस्त धीरज कुमार पुत्र हरीराम निवासी बेलवा विशुनपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ने मिलकर थाना क्षेत्र मे चोरी करके समान को बेचकर पैसा आपस मे बाट लेते है आज मै पूर्व मे किया गया चोरीयो के कुछ समान को बेचने के लिये जा रहा था कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण/आपराधिक इतिहास जो थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है -

1. अभिषेक यादव उर्फ तुफानी यादव पुत्र रामबली यादव निवासी भीमलपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष

1.मु0अ0सं0- 222/19 धारा 323/324/504/ भादवि0 थाना अहरौला आजमगढ़
2.मु0अ0सं0- 133/22 धारा 34/419/420 भादवि थाना अहरौला आजमगढ़
3.मु0अ0सं0- 55/24 धारा 347/357/365/387 भादवि थाना अहरौला आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- 398/24 धारा 87 बीएनएसथाना अहरौला आजमगढ़
5. मु0अ0सं0- 252 धारा 115(2)3(5)/324(3)/333/351(3)/352/74 बीएनएस थाना अहरौला आजमगढ़
6.मु0अ0स0 499/24 धारा 305ए/331(4)/317(2) बीएनएस थाना अहरौला आजमगढ़
7. मु0अ0स0 75/25 धारा 305ए/331(4)/317(2) बीएनएस थाना अहरौला आजमगढ़
8. मु0अ0स0 167/24 धारा 305ए/331(4)/317(2) बीएनएस थाना अहरौला आजमगढ़
9.मु0अ0स0 178/25 धारा 305ए/331(4)/317(2) बीएनएस थाना अहरौला आजमगढ़
10. मु0अ0स0 310/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला आजमगढ़
11. मु0अ0स0 256/25 धारा 298/61(2) बीएनएस थाना अहरौला आजमगढ़
12. मु0अ0स0 257/25 धारा 298/61(2) बीएनएस थाना अहरौला आजमगढ़
13. मु0अ0स0 176/23 धारा 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट व 323/504/506 भादवि थाना अहरौला आजमगढ़
14. मु0अ0स0 51/22 धारा 34/323/504/506/337 भादवि थाना अहरौला आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

1-एक अदद तमन्चा .315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतुस .315 बोर
2-चोरी के एक अदद अंगुठी (पीली धातु) ,
3-पांच जोड़ी पायल (सफेद धातु) ,
4-तीन अदद मंगलसूत्र (पीली धातु जिसमे काले रंग की गुडिया का माला है),
5-एक अदद चैन (पीली धातु),
6-एक अदद फुल का गगरा ,
7-एक अदद फुल का छोटा बटुला ,
8-चार अदद साड़ी ,
9-चोरी के 1050 रुपया

वांछित/फरार अभियुक्त का विवरण:-

1- धीरज कुमार पुत्र हरीराम निवासी बेलवा विशुनपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

अनावरण अभियोगों का विवरण:-

1. मु0अ0स0 499/24 धारा 305ए/331(4)/317(2) बीएनएस में ------ पीली धातु का दो मंगलसूत्र , दो अदद सफेद पायल व एक अदद फुल का गगरा , एक अदद फुल का छोटा बटुला , चार अदद साड़ी को बरामद

2. मु0अ0स0 75/25 धारा 305ए/331(4)/317(2) बीएनएस में------एक अदद मंगलशूत्र पीली धातु व एक अदद सफेद धातु का पायल व 1050 रुपया को बरामद

3. मु0अ0स0 167/24 धारा 305ए/331(4)/317(2) बीएनएस में-------- एक अदद चैन पीली धातु का व एक अदद पायल सफेद धातु का बरामद

4. मु0अ0स0 178/25 धारा 305ए/331(4)/317(2) बीएनएस में----- एक अदद पीली धातु अंगूठी व एक अदद सफेद धातु पायल बरामद

5. मु0अ0स0 310/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित ----------

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-</u>

1.उ0नि0 नितेश चौबे थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

2.उ0नि0 श्रीप्रकाश मिश्र थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

3. उप नि0 रंजन कुमार साव थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

4.हे.का. विमलेश तिवारी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

5.हे.का. राकेश कुमार सिंह थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

6.का0 मुकेश वर्मा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

7.का. विशाल सोनकर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

8.का. गुलामनवी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

9.का. विनोद वर्मा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

05. थाना –मेंहनाजपुरः किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना:-

दिनांक 22.08.2025 को वादिनी मुकदमा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दिया कि विपक्षी विकास यादव पुत्र रविन्द्र यादव ग्राम उचियाँ रसुलपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ द्वारा वर्ष 2022 वादिनी को शादी का झांसा देकर हमारे साथ लगातार शारिरीक सम्बध बनाता रहा जब हमकों दिनांक 19/08/2025 को पता चला कि विकास यादव दुसरी शादी कर लिया तों मैने इसका विरोध किया तों विकास ने हमें बहानें से मोटर साइकिल पर बैठा कर सुन-सान जगह ले गया जहाँ मुझे मारने-पीटने लगा मै चिल्लाने लगी तो बहुत से राहागीर इकठ्ठा हो गये तो हमे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 - 090/2025 धारा- 69,115(2),351(3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम विकास यादव पुत्र रविन्द्र यादव ग्राम उचियाँ रसुलपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया है। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर तरमीम धारा 65(1),115(2),351(3) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट किया गया है। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण :

दिनांक 28.08.2025 को व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विकास यादव पुत्र रविन्द्र यादव ग्राम उचियाँ रसुलपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ को तियरा मोड के पास से समय करीब 08.20 बजे प्रातः कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग–

1-मु0अ0सं0 90/2025 धारा 69,115(2),351(3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट तरमीम धारा 65(1),115(2),351(3) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1-विकास यादव पुत्र रविन्द्र यादव ग्राम उचियाँ रसुलपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 90/2025 धारा 65(1),115(2),351(3) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम : -

1. व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना मेंहनाजपुर ,आजमगढ़
2. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव थाना मेंहनाजपुर , आजमगढ़

थाना मेहनाजपुर-आजमगढ़
मनीष पा
(थानाध्यक्ष)
CUG 94544029
88107260